औद्योगिक पार्कों के लिए भूमि देने वालों को और राहत

■ अजित खरे

लखनऊ। अपनी जमीन पर निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने को अब निवेशकों को और रियायतें मिलेंगी। अब उन्हें प्राधिकरणों द्वारा लिए जाने वाले विकास शुल्क से मुक्ति मिलेगी। नक्शा पास कराने के लिए भी दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी।

एमएसएमई विभाग ने अब प्लेज योजना के तहत निवेशकों को और राहत देने के लिए नया प्रस्ताव तैयार किया है। इसे जल्द कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा। अभी निजी जमीन को इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों को डवलपमेंट शुल्क देना होता है। अब यह काम एमएसमएमई विभाग खुद कराएगा या विकास शुल्क की प्रतिपूर्ति करेगा। इसके साथ ही जमीन पर स्टांप शुल्क भी माफ किया जाएगा। अभी निवेशक को नक्शा पास कराने के लिए भी प्राधिकरणों के चक्कर काटने पड़ते हैं। अब यह काम जिला उद्योग केंद्र के जरिए कराया जाएगा। इसके अलावा प्लेज पार्क के लिए 12 मीटर चौड़ी सड़क के बजाए सात मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान किए जाने पर भी विचार हो रहा है। असल में प्लेज पार्क परियोजना के तहत यूपी सरकार निजी जमीन धारकों का उद्योग लायक विकसित करने को एक प्रतिशत ब्याज पर कर्ज देती है। इस रकम से निवेशक अपनी जमीन को तैयार करता है। इसके बाद इसे उद्योग लगाने के लिए प्लाटिंग कर अन्य उद्यमियों को बेचता है। पर इस काम में जमीन विकसित करने वाले निवेशकों को मुश्किलें आ रही हैं।

07 मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान किए जाने पर हो रहा विचार

- लखनऊ समेत 11 शहर योजना में शामिल
- वाराणसी में प्लेज पार्क पर काम हो रहा

प्लेज योजना: 50 लाख का लोन 1% ब्याज दर पर

प्लेज (प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन्स) योजना के तहत सरकार प्रति एकड़ जमीन पर 50 लाख का लोन एक प्रतिशत की ब्याज दर पर देती है। इस जमीन पर औद्योगिक पार्क विकसित कर औद्योगिक इकाइयां लगाई जाती हैं। वर्तमान में बागपत, शाहजहांपुर, बाराबंकी, बरेली, चंदौली, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, झांसी, हापुड़ और लखनऊ में प्लेज पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इनमें झांसी और हापुड़ में पार्क चालू हो गए हैं। अब वाराणसी में भी प्लेज पार्क पर काम हो रहा है।